अपील संख्या 14/2012
हरसहाय वगै0 वगै0 बनाम ग्रामदानी ग्राम सभा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/8/2023	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्ष उपस्थित। दौराने बहस वकील प्रार्थी/ रेस्पोडेन्ट का कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा ना0क0 सं. 865 के विरूद्व अपील प्रस्तुत पेश की गई है। जो ग्राम दानी ग्राम ढाणी बहादुर सिंह के नाम दर्ज करना अपीलान्ट द्वारा अपील में बताया गया है व ग्राम दानी अध्यक्ष को बतौर रेस्पोडेन्ट पक्षकार बनाया गया है। भूमि ख.न. 1100 रकबा 18 बीघा 17 बिस्वा के सम्बंध में सहायता चाही गई है। ग्रामदानी ग्राम ढाणी बहादुर सिंह में निहीत है। राजस्थान ग्रामदान अधिनियम 1971 की धारा 46 में सिविल व राजस्व न्यायालय की अधिकारिता का अपर्वजन किया गया है। अतः माननीय न्यायालय को प्रकरण सुनवाई का अधिकार नही है। अतः अपील न्यायालय में चलने योग्य नही है। खारीज की जावें। दौराने बहस वकील अप्रार्थी/ अपीलान्ट ने कथन किया कि भूमि ख.न. 1108 रकबा 18 बीघा 17 बिस्वा पूर्व में ग्राम भूदौली वर्तमान ग्राम आगवाड़ी में स्थित है। उक्त भूमि के 1/2 हिस्से का खातेदार मंगेजसिंह पुत्र तख्तसिंह ढाणी बहादुर सिंह वाली का निवासी था। ढाणी बहादुर सिंह वाली ग्राम दान घोषित होने पर उक्त भूमि की बाबत ना0क0 सं. 865 ग्राम दानी ग्राम सभा ढाणी बहादुर सिंह वाली के नाम अन्य ख.न के साथ साथ दर्ज कर दिया। अपीलान्ट ढाणी पाकापोठावाली के निवासी है ढाणी बहादुर सिंह वाली में कभी नही रहे। ना0क0 गलत दर्ज हुआ है इसलिये अपील पेश की गई है जिसे सुनवाई का अधिकार माननीय न्यायालय को है। प्रार्थना पत्र केवल प्रकरण को देरीना करने की गर्ज से पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र खारीज किया जावें। बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षों पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि अपीलान्ट द्वारा जो अपील ना0क0 संख्या 865 के विरूद्व न्यायालय में दिनांक 26.06.2012 को प्रस्तुत की गई है। वह भूमि वर्ष 1975 में ग्रामदान के नाम दर्ज हुई है। ग्राम दान के नाम दर्ज भूमि की सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्थान ग्रामदान अधिनियम 1971 की धारा 46 के तहत इस न्यायालय को नही है। अतः वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलान्ट क्षेत्राधिकार से बाहर होने से खारीज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफतर दाखिल हो। (हस्ताक्षर) राजवीर सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.11.30 13:44:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner